

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-द

हुक्म या कार्यवाही मय, इनिशियल्सजज

तारीख
हुक्म

नाली बनाम राजेश

मु.नं.- 89/22

किस्म - डावा

28.4.26 अतिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली बुधवार दिनांक 12-5-26 को पेश है।

12.5.26 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को धारा 2 अधिनियम दिखवाई गई। उक्त पत्र अधिनियम के अंतर्गत लम्बे समय से सत्य वादी में लंबित है। वादी को धारा 2 निर्देशों के बावजूद भी वादी द्वारा सत्य वादी पेश नहीं किया और निर्देशों की अवहेलना की गई। इसके स्थिति में वादी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली वादी की अदम दायी व अदम पेशी में स्वयं ही जाती है। पत्रावली फौजदारी होकर दायी इच्छुक है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दोसा)